

न्यायालय:-अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
वैवाहिक प्र0क0 07/2017
संस्थित दिनांक 23-01-2017

श्रीमती शालिनी पत्नी उदयभान, पुत्री राजाराम, उम्र 21 वर्ष, जाति कोरी, निवासी ग्राम देहगांव, परगना गोहद, हाल निवासी- वार्ड न. 8 टंकी के पास नहर मोहल्ला गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदिका

॥ वि रू द्ध ॥

उदयभान पुत्र तेजसिंह, उम्र 27 वर्ष, जाति कोरी, निवासी ग्राम देहगांव, परगना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदक

आवेदिका द्वारा-श्री राजीव शुक्ला अधि0. अनावेदक द्वारा-श्री महेश श्रीवास्तव अधि0
--

॥ नि र्ण य ॥

(आज दिनांक **01.08.2017** को घोषित किया गया)

01. आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(ख) के अन्तर्गत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 17.01.2017 को प्रस्तुत की गयी है।
02. उभय पक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 26.07.2017 न्यायालय में उपस्थित हुए, उन्होंने व्यक्त किया कि उनका अब आपस में साथ रहना संभव नहीं है और प्रस्तुत याचिका अनुसार उनका विवाह विच्छेदित कर दिया जावे।
03. संक्षेप में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत याचिका का सारांश इस प्रकार है कि

आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिनांक 08.06.2014 को सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद आवेदिका अपनी सुसराल 6 माह तक अच्छी तरह से रही। कुछ समय पश्चात् उनके मध्य वैचारिक मदभेद उत्पन्न हो गये और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और दूरिया स्थापित हो गई और वर्तमान में दोनों दो वर्ष से पृथक पृथक निवास कर रहे हैं, उनका एक साथ रह पाना संभव नहीं है। अतः आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की प्रार्थना करते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है।

04. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01.	क्या आवेदिका एवं अनावेदक विवाह विच्छेद की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
-----	---

//सकारण निष्कर्ष//

05. आवेदिका एवं अनावेदक के याचिका के संबंध में कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया कि उनके विचार नहीं मिल रहे हैं और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रतिकूल होने लगा है और अब उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। उनके मध्य भरणपोषण का कोई विवाद नहीं है। अतः सहमति के आधार पर उनके मध्य हुआ विवाह को विघटित कर दिया जावे।

06. उभयपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए पर्याप्त अवसर मिल चुका है। उभय पक्ष अपने फैसले पर अडिक है। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

07. परिणामतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1	आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य हुआ विवाह दिनांक 08.06. 2014 को विच्छेदित किया जाता है। आवेदिका एवं अनावेदक आज निर्णय दिनांक से पति पत्नी नहीं रहेंगे।
2	उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो 500/- तक मान्य की जाती है।

तदनुसार जयपत्र तैयार किया जावे ।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)